भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 5213

उत्तर देने की तारीख: 24.03.2026

छात्रवृत्ति राशि

5213. श्री राजकुमार रोत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच निधि को 60:40 के अनुपात में बांटा गया है, के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान कितने छात्रों की छात्रवृत्ति संस्वीकृत की गई थी, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति राशि प्राप्त हुई है और उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक उक्त राशि प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) भुगतान के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है और उक्त प्रक्रिया की निगरानी के लिए क्या नियम हैं;

(ग) क्या राज्यों की ओर से विलंब अथवा प्रशासनिक कारणों से छात्रवृत्ति राशि छात्रों के खाते में समय पर अंतरित नहीं की जाती है और छात्र अपनी छात्रवृत्ति की स्थिति का पता नहीं लगा पाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का छात्र लॉगिन के माध्यम से वास्तविक-समय ट्रैकिंग प्रणाली के जरिए छात्रवृत्ति की संस्वीकृति, भुगतान और लंबित स्थिति को दर्शाने और एक एकीकृत ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (च): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वर्ष 2021-22 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के जरिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित कर रहा है। केंद्रीय हिस्सा सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी किया जाता

है। छात्रवृत्ति के केंद्रीय हिस्से को जारी करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा अपने हिस्से के भुगतान संबंधी डेटा वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर साझा करने पर निर्भर है। यह योजना पूरे भारत में सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों के पात्र छात्रों के लिए खुली और मांग आधारित है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के माध्यम से 75:25 (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 और विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%) के वित्त पोषण पैटर्न पर "अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" नामक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने, सत्यापन करने और लाभार्थियों का चयन करने तथा छात्रवृत्ति के संवितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की होती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर तथा वित्तीय और वास्तविक प्रगति की जांच करने के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का केन्द्रीय हिस्सा जारी करता है। राज्य सरकारें/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन डीबीटी मोड के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति जारी करते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जारी की गई निधि और लाभार्थियों की संख्या का विवरण **संलग्नक-I** में है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि का केन्द्रीय हिस्सा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भुगतान किए गए आंकड़े प्राप्त होने पर जारी किया जाता है। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

- राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर पर बैठकें आयोजित करके समय-समय पर समीक्षा करना और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरे करना।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर योजनाओं की ऑन-बोर्डिंग और ऑनलाइन एंड टू एंड प्रक्रिया।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने छात्रवृत्ति पोर्टल रखने वाले ऑन-बोर्डेड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियमित रूप से हैंड होल्डिंग बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

मंत्रालयों और विभागों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श से योजनाओं में संशोधन किया जा रहा है।

संलग्नक-I

'छात्रवृत्ति राशि' के संबंध में श्री राजकुमार रोत द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5213, जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) में संदर्भित विवरण

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:

(रुपये करोड़ में)

		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	372.59	2,38,915	200.50	195269	605.71	3,03,298
2	असम	9.2	11,140	13.90	8426	8.74	12,073
3	बिहार	37.54	1,36,340	21.29	68975	23.97	73,615
4	चंडीगढ़	2.42	876	0.59	287	2.70	1,253
5	छत्तीसगढ़	45.01	96,267	36.14	79237	39.96	87,675
6	दादरा तथा नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.2	98	0.00	0	0.00	0
7	दिल्ली	13.67	7,531	9.97	3,160	22.19	4,692
8	गोवा	0.0031	1	0.04	34	0.08	58
9	गुजरात	220.26	1,13,531	384.23	179116	399.93	1,57,584
10	हरियाणा	131.58	87,913	120.58	70464	94.89	55,444
11	हिमाचल प्रदेश	17.6	21,502	22.41	23959	35.64	33,149
12	जम्मू-कश्मीर	5.43	10,097	4.68	7370	4.09	6,567

13	झारखंड	18.18	33,922	31.39	44610	45.04	57,784
14	कर्नाटक	342	4,58,548	421.08	403965	422.90	4,04,008
15	केरल	56.82	42,521	119.17	155319	160.70	1,47,531
16	मध्य प्रदेश	335.05	4,45,319	366.80	346289	486.74	6,36,303
17	महाराष्ट्र	359.42	1,48,573	1652.98	749317	929.92	3,62,808
18	मणिपुर	7.34	8,988	1.94	2125	6.76	7,938
19	मेघालय	0	0	0.00	0	0.10	25
20	ओडिशा	338.33	2,99,369	127.44	143861	181.51	1,91,873
21	पुडुचेरी	3.61	3,904	2.85	2564	3.20	2,694
22	पंजाब	62.81	40,708	284.87	199508	410.42	2,94,284
23	राजस्थान	241.38	3,03,252	147.13	151922	180.59	2,29,002
24	सिक्किम	0.76	448	0.52	216	0.44	172
25	तमिलनाडु	726.25	5,43,772	713.70	643761	1032.09	9,34,793
26	तेलंगाना	0	0	0.00	0	0.00	0*
27	त्रिपुरा	38.92	22,278	40.93	16858	51.61	19,849
28	उत्तर प्रदेश	926	12,69,634	674.83	949934	366.02	6,44,827
29	उत्तराखंड	12.59	27,735	12.94	23804	19.69	26,216
30	पश्चिम बंगाल	63.36	2,73,953	62.48	268228	26.63	1,08,693
	कुल	**4388.32**	**46,47,135**	**5475.42**	**47,38,578**	**5562.24**	**48,04,208**

*तेलंगाना राज्य को 2024-25 से ऑन-बोर्ड किया गया है और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्रीय पोर्टल पर तेलंगाना राज्य से कोई भी राज्य शेयर भुगतान डेटा प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
		जारी की गई निधि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधि	लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	386	0.00	193	0.10	311
2	आंध्र प्रदेश	133.57	129032	114.71	79780	120.00	67888
3	अरुणाचल प्रदेश	96.16	46330	80.00	42417	100.00	45125
4	असम	68.45	62140	35.00	58774	79.71	77350
5	बिहार	0.00	3768	0.00	1444	4.43	3428
6	छत्तीसगढ़	93.30	34184	71.25	40552	70.00	34022
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव		2208	4.04	1053	4.90	1627
8	गोवा	11.87	4439	5.27	3274	5.00	3163
9	गुजरात	244.26	262538	350.00	226456	231.22	233161
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	4303		4390	5.00	4937
11	जम्मू-कश्मीर	6.84	10430	7.46	7319	9.95	15309
12	झारखंड	0.00	147633	53.11	148676	200.00	65104
13	कर्नाटक	0.00	131968	225.56	123707	125.00	125823
14	केरल	0.00	14863	46.89	13731	29.00	13034
15	लद्दाख	18.91	8619	5.96	9413	35.00	8969
16	मध्य प्रदेश	270.49	391317	350.00	353486	250.00	326410

17	महाराष्ट्र	90.27	135915	570.36	139165	117.81	144785
18	मणिपुर	41.38	42572	30.00	33542	25.00	32275
19	मेघालय	146.20	61360	85.00	76755	145.08	73902
20	मिजोरम	25.90	38784	25.00	31685	24.00	28471
21	नागालैंड	36.08	40638	35.00	42485	62.00	41793
22	ओडिशा	171.33	204172	135.64	213957	294.00	230366
23	पुडुचेरी	0.00	18	0.00	11	0.00	10
24	राजस्थान	188.10	236628	220.00	168516	350.00	149523
25	सिक्किम	9.25	2650		1849	6.00	2411
26	तमिलनाडु	28.54	23529	20.00	25216	25.00	28273
27	तेलंगाना	238.51	114911	112.50	131505	152.50	131032
28	त्रिपुरा	45.22	37380	40.00	33678	74.94	33506
29	उत्तर प्रदेश	0.00	9655	10.00	9676	15.00	10427
30	उत्तराखंड	0.00	3534	1.88	3972	2.70	3853
31	पश्चिम बंगाल	0.00	63208	34.06	37760	35.00	29528
	कुल	**1964.63**	**2269112**	**2668.69**	**2064437**	**2598.34**	**1965816**
